

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०- पि०व०/ छात्रावास/ नि०प्र०सं०-45-03/2018- 225 पटना, दिनांक- 3/2/26

संकल्प

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 से "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत निर्धारित छात्रावास अनुदान की दर रू० 1000/- (रू० एक हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह को संशोधित करते हुए रू० 2000/- (रू० दो हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रावास अनुदान दर के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 19,56,00,000/- (रू० उन्नीस करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प सं०-1063 दिनांक-17.05.2018 के द्वारा दी गयी स्वीकृति के आलोक में राज्य स्कीम मद से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासित एवं अध्ययनरत प्रति छात्र/छात्रा को रू० 1000/- (रू० एक हजार) मात्र की दर से छात्रावास अनुदान की राशि दी जा रही थी।

2. वर्तमान में बढ़ती महँगाई को देखते हुए समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति जगारूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने की उद्देश्य पूर्ति हेतु "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना" की वर्तमान दर में वृद्धि करते हुए रू० 2000/- (रू० दो हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह किये जाने पर विचार किया गया।

3. अतः सम्यक् विचारोपसंत वित्तीय वर्ष 2025-26 से "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत निर्धारित छात्रावास अनुदान की दर रू० 1000/- (रू० एक हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह को संशोधित करते हुए रू० 2000/- (रू० दो हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रावास अनुदान दर के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 19,56,00,000/- (रू० उन्नीस करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. योजना पुनरीक्षण के फलस्वरूप वृद्धित (पुनर्निर्धारित) दर दिनांक-01.01.2026 से प्रभावी होगा।

5. बजट शीर्ष-

राज्य स्कीम माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उप शीर्ष-0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-3401- छात्रवृत्ति/वजीफा (0101.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा) विपत्र कोड-11-2225032770101 के तहत भारित होगा।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-29.01.2026 में मद संख्या-09 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

03/02/26  
(एच० आर० श्रीनिवास)  
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0-45-03/2018- 225 पटना, दिनांक- 3/2/26  
प्रतिलिपि- हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो  
प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0-45-03/2018- 225 पटना, दिनांक- 3/2/26  
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0-45-03/2018- 225 पटना, दिनांक- 3/2/26  
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान  
सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0-45-03/2018- 225 पटना, दिनांक- 3/2/26  
प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक,  
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला पिछड़ा एवं अति  
पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0-45-03/2018- 225 पटना, दिनांक- 3/2/26  
प्रतिलिपि- विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद के बैठक के मद  
संख्या-11 दिनांक-29.01.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0-45-03/2018- 225 पटना, दिनांक- 3/2/26  
प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव,  
मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0-45-03/2018- 225 पटना, दिनांक- 3/2/26  
प्रतिलिपि-निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0-45-03/2018- 225 पटना, दिनांक- 3/2/26  
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/माननीया मंत्री के आप्त  
सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0-45-03/2018- 225 पटना, दिनांक- 3/2/26  
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को  
विभागीय बेंचसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।